जिला परिवहन कार्यालय, किशनगंज

आदेश

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 455, दिनांक 24.09.2020 तद्नुसार संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आवंटनादेश संख्या 03/प्र.–बजट आवंटन (3055)–02–07/2020–93, दिनांक 24.09.2020 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित मुख्यशीर्षों में प्राप्त कुल आवंटन मो. 2400000.00 (चौबीस लाख) रू. में से निम्नांकित प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निम्नरूपेण उपावंटित किया जाता है :–

क्र. सं.	प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	मुख्यशीर्ष–3055–सड़क परिवहन–उप मुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–199–अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता–उपशीर्ष–0101–मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड 47–3055001990101 विषय शीर्ष–0101.33..01 सब्सिडी	मुख्यशीर्ष–3055–सड़क परिवहन–उप मुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उपशीर्ष–0101–मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड 47–3055007890101 विषय शीर्ष–0101.33..01 सब्सिडी	मुख्यशीर्ष–3055–सड़क परिवहन–उप मुख्य शीर्ष–00–लघुशीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना उपशीर्ष–0101–मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना विपत्र कोड 47–3055007960101 विषय शीर्ष–0101.33..01 सब्सिडी
1	2	3	4	5
1	बहादुरगंज	300000.00	00.00	00.00
2	दिघलबैंक	300000.00	300000.00	00.00
3	किशनगंज	200000.00	100000.00	00.00
4	पोठिया	500000.00	100000.00	400000.00
	कुल :–	1300000.00	500000.00	400000.00

- **कॉलम–3 :– मो. तेरह लाख रूपये मात्र।**
- **कॉलम–4 :– मो. पॉच लाख रूपये मात्र।**
- **कॉलम–5 :– मो. चार लाख रूपये मात्र।**

1. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम.–4–05/98–2561वि.(2), दिनांक 17.04.1998 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जाता है।

2. लाभुकों को आवंटित राशि का भुगतान सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा बिहार गजट संख्या 823, दिनांक 05.09.2018 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 6297, दिनांक 8.8.2019 के आलोक में पूरी छान–बीन एवं आवश्यक जॉच के बाद हीं किया जायेगा। साथ हीं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई भी छद्मपूर्ण या अनियमित भुगतान नहीं हो। अनुदान की राशि लाभुक के खाते में अंतरित करने के पूर्व चयनित लाभुक से वाहन का निबंधन पुस्त, बीमा से संबंधित कागजात एवं विक्रय पत्र प्राप्त किये जायेंगें

यदि वाहन खरीदने हेतु किसी वित्त पोषण संस्था से ऋण लिया गया हो तो विभागीय अधिसूचना संख्या 6297, दिनांक 08.08.2019 के आलोक में लाभुक से वित्त पोषण संस्थान को राशि अंतरण हेतु लाभुक द्वारा हस्ताक्षरित **RTGS TRANSFER** प्रपत्र प्राप्त किया जाएगा। साथ ही लाभुक से इस आशय का स्वघोषणा पत्र प्राप्त किया जाएगा कि सरकार से लाभुक को प्राप्त अनुदान की राशि को लाभुक के बैंक खाते से ऋण देने वाले वित्तीय संस्थान के बैंक खाते में सीधे अंतरित करने का अधिकार संबंधित बैंक को होगा। इस संबंध में विभागीय अधिसूचना सं0–6297, दिनांक 08.08.2019 को पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।

3. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जाएगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर मुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर हो एवं विपत्र कोड तथा मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

4. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

जिला पदाधिकारी,
किशनगंज।